पत्रांक- अ0स0क0 08-29/2009 (खंड) ...373...

बिहार सरकार

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

प्रेषक,

आमिर सुबहानी
सरकार के प्रधान सचिव

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना

पटना, दिनांक 02/09/15

विषयः- केन्द्र प्रायोजित अल्पसंख्यकों के लिये बहुक्षेत्रक विकास योजना के तहत कटिहार जिला के लिए केन्द्र द्वारा स्वीकृत सोलर लालटेन के अधिष्ठापन हेतु कोषागार चालान के माध्यम से प्रत्यार्पित राज्यांश की राशि के समतुल्य राशि ₹ 38.72 लाख (अड़तीस लाख बहत्तर हजार रुपये) मात्र का वित्तीय वर्ष 2015-16 में पुर्नावंटन एवं व्यय हेतु स्वीकृति के संबंध में ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक केन्द्र प्रायोजित अल्पसंख्यकों के लिये बहुक्षेत्रक विकास योजना के तहत कटिहार जिला के लिए केन्द्र द्वारा स्वीकृत सोलर लालटेन के अधिष्ठापन हेतु कोषागार चालान के माध्यम से प्रत्यार्पित राज्यांश की राशि ₹ 38.72 लाख (अड़तीस लाख बहत्तर हजार रुपये) मात्र जिला कोषागार, कटिहार को कोषागार चालान संख्या 28 दिनांक 8.5.15 के द्वारा जमा कर डी०सी०विपत्र महालेखाकार बिहार, पटना को जिला पदाधिकारी, कटिहार द्वारा समर्पित किया गया है।

2. उक्त राशि केन्द्र द्वारा स्वीकृत एवं विमुक्त है । अभियान चलाकर उपर्युक्त स्वीकृत राशि में से अव्यवहृत राशि को कोषागार चालान द्वारा प्रत्यार्पण कर उक्त का डी०सी० विपत्र जमा किया गया था । योजना का कार्य पूर्ण रूप से संपन्न नहीं हुआ है । ऐसी स्थिति में योजना का कार्यान्वयन बाधित नहीं हो इसलिए कोषागार चालान द्वारा प्रत्यार्पित राशि ₹ 38.72 लाख (अड़तीस लाख बहत्तर हजार रुपये) मात्र के समतुल्य राशि की विमुक्ति की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2015-16 में जिला पदाधिकारी, कटिहार को देते हुए इसकी निकासी एवं विधिवत व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

3. उपर्युक्त स्वीकृत एवं आवंटित राशि की निकासी एवं व्यय मुख्यशीर्ष 4250-अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष 00, लघुशीर्ष 051- निर्माण, मांग संख्या 30, उपशीर्ष 0307- अल्पसंख्यकों के लिये बहुक्षेत्रक विकास कार्यक्रम, विपत्र कोड- P-4250000510307, विषय शीर्ष 53 01 मुख्य निर्माण कार्य के अन्तर्गत उपबंधित राशि से राज्यांश मद में वित्तीय वर्ष 2015-16 में विकलनीय है ।

4. आवंटित राशि की निकासी जिला पदाधिकारी, कटिहार द्वारा जिला कोषागार, कटिहार से चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में की जायेगी जिसके लिए अलग से आवंटन आदेश की आवश्यकता नही होगी ।

5. यह योजना चालू योजना की श्रेणी में है तथा योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में राज्यांश का बजट उपबंध प्राप्त है ।

6. वित्त विभाग के पत्रांक-7355 वि0 दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नही है ।

7. इस योजना अंतर्गत वित्त विभाग के पत्रांक 4989 वि0 (2) दिनांक 16.05.2013 की सभी कंडिकाओं का अनुपालन संबंधित विपत्र में आपेक्षित होगा ।

8. योजना का कार्यान्वयन अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा निर्देश के आलोक में समय सीमा के अंदर पुर्ण कर उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को भेजना सुनिशचित किया जाय ।

विश्वासभाजन

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक :- 373 पटना, दिनांक 02/09/15

स्पीड पोस्ट

प्रतिलिपि :- जिला पदाधिकारी, कटिहार/ जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक :- 373 पटना, दिनांक 02/09/15

स्पीड पोस्ट

प्रतिलिपि :- जिला कोषागार पदाधिकारी, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक :- 373 पटना, दिनांक 02/09/15

प्रतिलिपि :-योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना / वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक :- 373 पटना, दिनांक - 02/09/15

प्रतिलिपि :- आई0टी0 प्रबंधक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि संबंधित स्वीकृत्यादेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित किया जाए ।

2-9-15

सरकार के प्रधान सचिव

10